<u>न्यायालय:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103001832010</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—507 / 10</u> संस्थापित दिनांक—30.11.10

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

तिरुद्ध

01—कृपाल सिंह पुत्र शिवराज सिंह परमार उम्र 40 वर्ष

02—नारायण सिंह पुत्र हीरालाल पाल उम्र 50 वर्ष

03—हरवान सिंह पुत्र नारायण सिंह पाल उम्र 30 वर्ष

सर्व निवासीगण गांव टोडा चंदेरी।

.......आरोपीगण

राज्य द्वारा :-- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।

आरोपीगण द्वारा :-- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 20.07.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 504, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादिव की धारा 294, 323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 324/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रूपलाल ने दिनांक 14.09.10 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को सुबह 08.30 बजे रंजिशन आरोपीगण उसे गाली—गलौच कर रहे थे, जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने लाठी, लात—घूसों से उसकी व उसकी मां सुखवती की मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 379/10 के अंतर्गत भादवि की धारा 324, 323, 504, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 324/34, 323/34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 14.09.2010 को समय सुबह 08.30 बजे ग्राम टोडा लोक स्थल में फरियादी रूपलाल को सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण

उपहति कारित की ?

<u>—ः सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रूपलाल, अ.सा. 02 सुखवती की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 रूपलाल ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण से उसकी कहासुनी हो गई थी और धक्का—मुक्की होने से वह गिर गया था जिससे उसे चोट आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने पुलिस रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्शामोका प्रपी 02 तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्रपी 03 दिया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे लाठी से मारा था। अ.सा. 02 सुखवती ने भी अपने कथन में कहासुनी एवं गाली गलौच एवं धक्का मुक्की के बारे में बताया है। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 04 देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मामले का फरियादी पक्षद्रोही हो गया है तथा उसके द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक को फरियादी की धारवार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

- 11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)